

CITY FACT AND FACILITIES BY GOVERNMENT**Mohammad Asif** मो. नं. +91-9413609001

Anand Nagar, Sumerpur Dist-Pali (Raj.) PIN-306902

PUBLIC WEB SERVICE**CONTECT DIRECTORY****NEWS & FACT****BENEFIT OF GOVT.****राजस्थान श्रमिक कार्ड योजना 2020**

राजस्थान सरकार ने श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए Rajasthan Labor Card योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी श्रमिक एवं मजदूर अपने लिए श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। इस योजना से लाभ यहां मिलेगा की श्रमिक परिवारों को राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिक परिवारों के लिए शुरू की गई कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस कार्ड को बनवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इस कार्ड को आप इंटरनेट के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं।

राजस्थान श्रमिक कार्ड 2020 के लाभ

- Rajasthan Labor Card द्वारा लाभार्थी राजस्थान सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं जैसे श्रमिक शिक्षा कौशल योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ्य व आवास योजना, प्रसुति सहायता योजना, श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, शुभशक्ति योजना, निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य व बीमा योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए गम्भार बीमारियों पर व्यय का पुनर्भरण योजना, सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना, इत्यादि।
- श्रमिक के पास खाद्य सुरक्षा योजना कार्ड होने पर उन्हें दो रुपए प्रति किलो की कीमत पर गेहूं मिलेगा।

राजस्थान श्रमिक कार्ड 2020 के लिए पात्रता

- आवेदन कर्ता राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- वह श्रमिक जिन्होंने 1 वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक नरेगा में काम किया है, वह भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- राजस्थान श्रमिक कार्ड 2020 के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- श्रमिक प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट का पासबुक
- मोबाइल नंबर

Rajasthan Shramik Card Online Registration की प्रक्रिया

- आवेदन देने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान श्रमिक जन सूचना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है- jansoochna.rajasthan.gov.in

Rajasthan Shramik Card Online Registration की प्रक्रिया

- आवेदन देने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान श्रमिक जन सूचना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है- jansoochna.rajasthan.gov.in

Rajasthan Shramik Card की ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

- अगर किसी वजह से श्रमिक ऑनलाइन आवेदन भरने में असमर्थ है तो वह ऑफलाइन भी आवेदन पत्र भर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए आपको श्रमिक विभाग कार्यालय जाना होगा।
- इसके बाद आपको कार्यालय से एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी गई सभी जानकारी ठीक-ठीक भरे और मांगे गए दस्तावेज अटैच करें।
- उसके बाद आपको आवेदन पत्र वही जमा करना है।